

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:—पं.दी.उ. पंखवाड़ा / 2025 / 195

प्रकरण सं.:— 182/2025
दिनांक:— 12-08-2025

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खेता राम बंगाराम व मू.अ. नि. खेता राम बंगाराम की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डेरपाना तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 85 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:—

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	डेरपाना	85	61/3 68/3	खेता राम बंगाराम नीम्बारा पिता राजाराम	खेता राम बंगाराम नीम्बारा पिता राजाराम

3
(जगदीशसिंह आशिया)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक:— 12-08-2025

क्रमांक:—सम. / 2025 / 196-197
प्रतिलिपि:—

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
- प्रार्थी खेता राम बंगाराम तहसील सिणधरी को सूचनाथी।
- रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी